

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

दिनांक 06 फरवरी, 2023

पत्रांक : 91 सीएसी / 23-432सीएसी / 95-11

- 1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
 - 2- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो / वित्त)
 - 3- समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
 - 4- समस्त सहायक लेखाधिकारी
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय : परिवहन निगम की ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में ।


कृपया इस कार्यालय के परिपत्र 90 सीएसी / 23-294सीएसी / 90 दिनांक 06.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निगम बसों की किराया दरों में वृद्धि करते हुये साधारण सेवा की बसों हेतु 130 पैसे प्रति यात्री / किमी० निर्धारित कर पुनरीक्षित किराया वसूल किये जान के निर्देश दिये गये है।

तदनुसार साधारण ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों को संशोधित कर रू० 57.18 प्रति किमी० निर्धारित किया गया है।

ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) का भाड़ा 24 घन्टे प्रति दिन की दर पर वसूला जायेगा।

ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) के भाड़े में नियमानुसार निधियों की गणना की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार किराया दरों को संशोधित कर नियमानुसार लागू कराने का कष्ट करें।



(अन्नपूर्णा गर्ग)

अपर प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक-समसंख्यक एवं समदिनांकित ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक / अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- वित्त नियन्त्रक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
- 3- मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- प्रधान प्रबन्धक (संचा० / प्रावि०), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- प्रधान प्रबन्धक (एमआईएस / आई.टी.), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- समस्त प्रधान प्रबन्धक / प्रबन्धक / सहायक प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।


(अन्नपूर्णा गर्ग)

अपर प्रबन्ध निदेशक